प्रेस विज्ञप्ति

28-03-2026

ईडी ने ट्रांस) हाईवे अरुणाचल–टीएएच) भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा घोटाले में ₹2.37 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर उप–आंचलिक कार्यालय ने ट्रांस) हाईवे अरुणाचल–टीएएच) भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा घोटाले के संबंध में धनशोधन निवारण अधिनियम)पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग ₹2.37 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत दिनांक 23.03.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमेय जिले के न्यापिन क्षेत्र के दोलो गांव में तदार बाबिन के नाम पर धारित 47,350 वर्ग मीटर भूमि तथा अरुणाचल प्रदेश के केई पन्योर जिले के याचुली क्षेत्र के जाथ गांव में लिखा माज के नाम पर धारित एक पारंपरिक मकान शामिल हैं, जो अपराध की आय अथवा उसकी समकक्ष मूल्य प्रतिनिधित्व का राशि– हैं करती, जिन्हें सरकारी मुआवज़ा निधियों के धोखाधड़ीपूर्ण विपथन के माध्यम से अर्जित किया गया था।

यह जांच ट्रांस) हाईवे अरुणाचल–टीएएच) परियोजना अधिग्रहण भूमि अंतर्गत के (खंड बोपी–टिनपो) जांच–तथ्य है। संबंधित से अनियमितताओं हुई पर पैमाने बड़े में वितरण एवं आकलन के मुआवज़े) समितिएफएफसी) की जांच से यह उजागर हुआ है कि अनुमत मुआवज़े के स्थान पर लगभग ₹44.98 करोड़ की अतिरिक्त भुगतान राशि जारी की गई, जिससे राजकोष को भारी वित्तीय अनुचित क्षति पहुंची। जांच से यह पता चला है कि इस सुव्यवस्थित षड्यंत्र में अनेक लोकसेवक एवं निजी व्यक्तियों की संलिप्तता थी, जिनमें केमो लोलेन, तत्कालीन उपायुक्त, ज़ीरो, शामिल हैं, जिन्होंने मुआवज़ा खाते के संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में धोखाधड़ीपूर्ण भुगतानों को अधिकृत और सुगम बनाने में मुख्य भूमिका निभाई; भारत लिंगू, तत्कालीन जिला भूमि राजस्व एवं निपटान अधिकारी)डीएलआरएसओ), ज़ीरो, जिन्होंने हेरफेर किए गए मुआवज़ा दावों का प्रसंस्करण एवं अनुमोदन किया; टको ताजे, कनिष्ठ अभियंता और संरचनात्मक मूल्यांकन टीम के सदस्य, जिन्होंने बढ़े हुए एवं काल्पनिक संरचनात्मक मूल्यांकन तैयार कराने में सहायता की; टको ताथ, जिन्होंने लाभार्थियों के धोखाधड़ीपूर्ण समावेशन में सहायता प्रदान की; तथा कबाक भट्ट, कनिष्ठ अभियंता, जिन्होंने मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से धनराशि के विपथन (डायवर्जन) एवं परतन) लेयरिंग) को सुगम बनाया। इसके अतिरिक्त, लिखा माज और तदार बाबिन, जिन्हें लाभार्थियों के रूप में दर्शाया गया था, ने विधिसम्मत पात्रता के बिना ही भारी मात्रा में मुआवज़ा राशि प्राप्त की और इन धनराशियों के हस्तांतरण (रूटिंग), निकासी एवं उपयोग में जानबूझकर भाग लिया, जिससे अपराध की आय को छिपाने और उसे वैधमिली। सहायता में करने प्रदर्शित में रूप के संपत्ति–

इससे पूर्व, ईडी ने 06.02.2026 को अरुणाचल प्रदेश एवं असम में विभिन्न परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की थी, जिसके परिणामस्वरूप लिखा माज से ₹2.40 करोड़ और तदार बाबिन से ₹22 लाख नकद जब्त किए गए, लगभग ₹1.19 करोड़ की बैंक शेषराशि के उपयोग को रोक (फ्रीज़) दिया गया तथा विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़ एवं डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। इससे पूर्व भी, ईडी ने आरोपियों से संबंधित बैंक खातों एवं जमा राशियों में लगभग ₹3.95 करोड़ की धनराशि की पहचान कर उसके उपयोग पर रोक (फ्रीज़) लगा दी थी। इस प्रकार, वर्तमान मामले में अब तक की गई कुर्की, जब्ती

एवं उपयोग पर रोक (फ्रीज़िंग) के माध्यम से सुरक्षित की गई अपराध की आय का कुल मूल्य लगभग ₹10.13 करोड़ है।

ईडी ने इससे पूर्व 12.03.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), यूपिया के समक्ष कबाक भट्ट के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की थी, तथा माननीय न्यायालय ने 14.03.2024 को उक्त शिकायत पर संज्ञान लिया है। अनुवर्ती जांच के दौरान अतिरिक्त अपराध की आय तथा अन्य आरोपियों की संलिप्तता की पहचान हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की आय के समतुल्य मूल्य को अंततः धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण हेतु सुरक्षित करने के उद्देश्य से वर्तमान कुर्की की कार्रवाई की गई है।

अगली जांच जारी है।